भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खण्ड- I में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं0 48 (आर0ई0-2012)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक: 08 फरवरी, 2013

विषयः- प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (ई पी सी जी स्कीम) के पैरा 5.23 के प्रावधानों में संशोधन ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.23 में तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

2. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5.23 का उप-पैरा (च) जो निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः-

> ''(च) मुक्त रुप से हस्तातंरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपों) की गणना शुल्क से बचायी गई राशि की बजाए शुल्क की चुकायी गई राशि (सैनवैट रहित) पर आधारित होगी''

को प्रतिस्थापित किया जाता है और संशोधित उप-पैरा निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः-

''(च) मुक्त रुप से हस्तातंरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिपों) की गणना चुकाए गए मूल सीमाशुल्क पर आधारित होगी।''

3. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5.23 के उप-पैरा (छ) को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः-

> ''(छ)(i) आगम बिल किए गए आयात पर भुगतान किए गए शुल्क को दर्शाता है। तत्पश्चात, यदि सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर लिया गया हो, तो उस पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा । क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क प्राधिकरण की यह घोषणा कि 'उसके इस आगम बिल(बिलों) पर सैनवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया है तथा न ही वह ''भविष्य'' में प्राप्त करेगा' के प्रमाणपत्र के न होने पर सीवीडी घटक पर कोई ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में जहाँ सीवीडी अंश की गणना ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप देने के लिए की जाती है, क्षेत्रीय प्राधिकारी इस संबंध में आगम बिल (बिलों) को पृष्ठांकित करेगा तथा यह भी उल्लेख करेगा कि सीवीडी अंश के लिए सैनवेट का लाभ नहीं लिया जाएगा तथा आगम बिल(बिलों) की संगत सूची सहित ब्यौरे देते हुए क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क प्राधिकरण को एक पत्र भेजेगा।

(ii) तथापि, यदि (क) यूनिट उत्पादशुल्क के साथ पंजीकृत नहीं है अथवा (ख) यूनिट ने उत्पादशुल्क से बाहर रहने का विकल्प चुना है अथवा (ग) अन्तिम उत्पाद उत्पादशुल्क के अधीन नहीं है तो केन्द्रीय उत्पादशुल्क कार्यालय से ऐसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ''

को प्रतिस्थापित किया जाएगा और संशोधित उप-पैरा निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः-

''(छ) जहाँ पर निर्यातक ने प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5.23 (ग) के तहत यह घोषणा करते हुए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है, कि वह सैनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं लेगा, निर्यात दायित्व को चुकाए गए मूल सीमाशुल्क के साथ निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप सैनवैट क्रेडिट की गैर लाभ प्राप्ति के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा । सैनवैट की गैर लाभ प्राप्ति के संबंध में केन्दीय उत्पाद शुल्क से ऐसे प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होंगे जहाँ पर एकक केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है ।''

4. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.23 के उप-पैरा (ज) के नीचे दो नए उप-पैरा (झ) और (ञ) जोड़े जाते हैं जो निम्नानुसार पढ़े जाएंगेः-

''(झ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.11 के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं का निपटान ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के अधीन निर्यात दायित्व को हटाने के लिए अंतिम निर्यात की तिथि तक नहीं किया जाएगा।

(ञ) प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5.16 के प्रावधानों के अनुसार खराब पाई गई पूंजीगत वस्तुओं के पुनः निर्यात अथवा उनके प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने के मामले में, यदि निर्यातक ऐसे पुनः निर्यात पर शुल्क वापसी के लिए दावा करता है, तो विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.11 के तहत कोई शुल्क छूट प्रदान नहीं की जाएगी ।''

5. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>

प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 5.23 के मौजूदा प्रावधान को मामूली रुप से संशोधित किया गया है और उप-पैरा (झ) और (ञ) को स्पष्टता दर्शाने के लिए जोड़ा गया है ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा0 सं0 18/08/एएम 13/नीति-5)